उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–10
संख्याः 64/XXVII(10)/27(08)2017/2019
देहरादूनः दिनांक 27 ~~अप्रैल~~ मई, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– दिनांक 01.01.2016 से पूर्व एवं पश्चात के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों से आच्छादित हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने विषयक।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों व अन्य ऐसे संस्थानों, जिनमें राज्य सरकार से भिन्न यू0जी0सी0 के वेतनमान लागू हैं, के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों (संलग्न–वेतन मैट्रिक्स के अनुसार) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–266/45/XXVII (10)/2016 दिनांक 30.12.2016 एवं 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकःयथोक्त।</u>

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

<u>संख्याः– /XXVII(10)/27(08)2017/2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कोलागढ़, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त कुलसचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

Scanned with CamScanner